तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.6.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30/7 को पेश हो।	
30.7.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो।	
17.8.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार मांडल पटवार हल्का दांता कला से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, प्रार्थी अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 243/20 प्रा.पत्र

1– श्री बालूराम S/o श्री कपूरचन्द तेली निवासी 2-बी-24 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री शिवसिंह S/o श्री नारायण सिंह राजपूत निवासी भीमकारखेड़ा त. माण्डल (वगैरा)
(प्रार्थना प्रा. पत्र अनुसार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 17.8.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भीमकारखेड़ा .... पटवार हल्का डांगा कला ......तहसील माण्डल ... में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 645/101 ....कुल किता ...... 01 ... रकबा ...... – .... बीघा ......0.4426 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.12.20 ....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमकारखेड़ा पटवार हल्का ....डांगा कला.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.... 645/101 ....कुल किता ....01.......................... रकबा........ – .... बीघा .... 0.4426 .... बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख [illegible] माण्डल ....को............. 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता [illegible] फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकार [illegible] यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर [illegible] खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21.40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा